[Shri Monoranjan Roy.]

of them will be absorbed and whether their service conditions will be maintained. They have 15 years' service.

SHRI DALBIR SINGH: It is a question of protection for labour also, as I told you. Service maintenance is a general question. It is everywhere.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): Please finish.

SHRI DALBIR SINGH: We are considering all these points while solving this question.

In the end, Madam, I request that the Bill be passed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): The question is:

"That the Bill to amend the Alcock Ashdown Company Limited (Acquisition of Undertakings) Act, 1973, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): We shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

SHRI D. D. PURI: Madam, the objection I raise is, in the original Act acquiring the Undertakings, "Undertakings" has been defined as follows: "The undertakings of the company shall be deemed to include all assets, rights, powers, etc." Now Explanation under clause 2 says:—

"For the avoidance of doubts, it is hereby declared that the expression 'undertakings of the company' does not include—

(a) any debts due to the company: and

(b) any amounts recoverable by the company from its shareholders or directors.

Is there any real doubt at all that assets of a company include book debts? Is that doubtful? What they have taken over is the undertakings and "undertakings" has been defined as assets. Assets have been taken over. Is there any doubt at all that any debts due to the company are assets of the company or any money recoverable by the company from its directors or shareholders? They are assets of the company and assets have been taken over under the definition of "undertakings". I do not know how this doubt should have come at all or whether they want to curtail the scope of what they are acquiring from the original scope.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): Do you want to say anything, Mr. Minister?

SHRI DALBIR SINGH: Madam, there is no question of curtailing the scope. That is the true intention of the Government. As I have made it clear earlier, we have got these undertakings for public purpose whereas book debts, etc. cannot be construed as for public purpose. So Mr. Puri should have no doubt about it. I again say that it has never been the intention of the Government to include these in the definition as we have made it clear.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI DALBIR SINGH: Madam, I move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE DIRECT TAXES (AMENDMENT) BILL, 1974

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. R. GANESH): Madam, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Income tax Act, 1961, the Wealth-tax Act, 1957, the Gift-tax Act, 1958, and the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 and to provide for certain related matters, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश): माननीया सदन में कोरम नहीं है।

श्री महावीर त्यागी (उत्तर प्रदेश): यह बिल इम्पारटेन्ट है, लेकिन सदन में कोरम नहीं है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI PURABI MUKHOPADHYAY): I think now we have quorum. Mr. Ganesh.

SHRI K. R. GANESH : Madam, the Direct Taxes (Amendment) Bill, 1973 was introduced in the Lok Sabha on 3rd September, 1973 and was referred to a Select Committee of the House on 23rd November, 1973. The Report of the Select Committee was presented to the Lok Sabha on 29th April, 1974. The Committee made several modifications in the Bill. These modifications constitute a distinct improvement over the provisions in the Bill as originally introduced. The Bill has been passed by the Lok Sabha without any further modification and it is now before this House for consideration. I will not tire the House by going into the details of the Bill but will only content myself by briefly explaining some of its salient features.

Madam, in his Budget Speech last year, the Finance Minister had given an indication of certain proposals which Government had in mind for encouraging industries in selected sectors and those in backward areas, as also for promotion of research and development and exports. One of the principal objects of this Bill is to give effect to these proposals. The Bill also contains a number of other proposals for removing difficulties experienced in the administration of direct taxation laws and for providing tax exemption in respect of certain categories of income.

With a view to encouraging industries in selected sectors the Bill provides for the grant of an initial depreciation allowance of 20 per cent of the cost of machinery or plant installed after 31st May, 1974.

Initial depreciation allowance will be available in respect of machinery and plant installed for purposes of generation and distribution of electricity or any other form of power and ships or aircraft acquired by shipping or aircraft enterprises. Initial depreciation allowance will also be available in respect of machinery and plant installed for purposes of manufacture of articles and things specified in the Ninth Schedule proposed to be inserted in the Income-tax Act. Selection of industries for purposes of this concession has been made keeping in view their priority from the angle of exports, essential needs for intermediate and investment goods, essential needs of mass consumption, the existence of capacity constraints on production and other relevant factors. In order to help the small-scale sector, the benefit of this tax concession is being extended to machinery or plant installed in all small-scale industrial undertakings, irrespective of the articles manufactured by them. For this purpose, an industrial undertaking will be regarded as a small-scale industrial undertaking if the cost of machinery or plant installed therein does not exceed seven hundred and fifty thousand rupees.

Another important tax concession proposed in the Bill relates to the grant of a partial tax holiday in the case of industries and hotels set up in specified backward areas. Under the provisions in the Bill, new industrial undertakings and approved hotels set up in specified backward areas after 31st March, 1973 will be allowed a deduction equal to 20 per cent of their profits for a period of 10 years. In the case of industrial undertakings which commenced production after 31st December, 1970 but before 1st April, 1973, the concession will be available only for the unexpired portion of the 10 year period from the commencement of production. The backward areas specified in the Bill for the proposed tax concession are the same as have been identified by the Planning Commission for the grant of concessional finance by public financial institutions.

With a view to encouraging development of indigenous technology and self-reliance in industry, the Bill seeks to enlarge the area of fiscal incentives for promoting research and development. Under the Bill, expenditure incurred by taxpayers on payment of salaries to research personnel and on material inputs during the three years immediately preceding the commencement of the business will be deductible in computing the taxable profits of the year in which the business is commenced. The deduction will be limited to the amount certified by the prescribed authority to have been actually spent on the qualifying items. The Bill also seeks to provide a weighted

[Shri K. R. Ganesh.]
deduction in an amount equal to one and one-third times the amount paid by taxpayers for sponsored research in any approved laboratory.

Under the Income-tax Act, a weighted deduction equal to one and one-third times the amount of expenditure incurred on development of export markets is allowed in computing the taxable profits. The Bill seeks to increase the weighted deduction in the case of widely-held companies to one and one-half times the amount of the qualifying expenditure.

Under the provisions of the Income-tax Act, penalty is imposable in the case of taxpayers for delay or default in furnishing the return of income. The penalty is calculated at 2 per cent of the tax payable by the assessee for every month during which the default continues, subject to a maximum of 50 per cent of the tax. The Income-tax Department had proceeded on the view that the expression 'the tax' means the tax determined on the basis of the assessment as reduced by the tax, if any, deducted at source or paid in advance. In the case of the Commissioner of Income-tax *vs* Vegetable Products Ltd., the Supreme Court, however, held that the penalty is to be calculated with reference to the *net* tax payable by a person after deducting not only the tax deducted at source and paid in advance, but also the tax paid on self-assessment or provisional assessment. In view of this ruling, taxpayers will be able to delay or withhold their returns of income without exposing themselves to the risk of any penalty. This is because a delinquent taxpayer, when detected by the Department, could furnish the return of income promptly, pay the tax on the basis of the return and thus save himself from penal consequences. Another effect of the judgment of the Supreme Court will be that in a very large number of cases where penalty has already been imposed by the Income-tax Department, penalty orders will have to be vacated or rectified in the light of the ruling of the Supreme Court.

This would generate enormous administrative work and would also entail a refund of large amounts collected by way of penalty. In view of these considerations the Bill seeks to make a retrospective amendment in the Income Tax Act to secure that for the purposes of imposing a penalty for delay or default in furnishing returns of income, the penalty will be calculated with reference to the *net* tax determined on assessment as reduced only by the tax, if any, deducted at source or paid in advance. The Bill also seeks to make similar provisions in relation to penalties for delay or default in furnishing returns of net wealth, taxable gifts and chargeable profits.

The Bill also contains provisions relating to a few other matters, such as exemption from tax in respect of interest payable by public financial institutions and banking companies established in India on loans raised in foreign countries in certain cases, exemption from tax in respect of awards for literary, scientific and artistic work or for proficiency in sports and games instituted by the Central or any State Government or approved by the Central Government; exemption in respect of rewards given by the Central or any State Government for approved purposes; removal of a practical difficulty in the working of the provision relating to tax exemption in respect of remuneration of certain foreign technicians and for conferring power on the Central Board of Direct Taxes to make rules with retrospective effect to give effect to subordinate legislation which is not prejudicial to the interests of taxpayers. I am sure, the hon'ble Members would have studied the provisions of the Bill very carefully and it is, therefore, not necessary for me to dilate on these provisions.

Madam, the objects of the Bill are non-controversial and laudable and I am confident that it will receive the unanimous support of the House.

With these observations, Madam, I move.

The question was proposed.

SHRI S. S. MARISWAMY (Tamil Nadu): The hon'ble Finance Minister has said that the Bill is a laudable one and is non-controversial. I am not in a position to accept his statement. Of course, the Bill has got four objects: (1) allow tax concessions for encouraging establishment of industries in selected areas; (2) promote industries in backward parts specified by the Reserve Bank; (3) giving tax concessions for the advancement of scientific research; and (4) emphasis on expenditure on the

development of export market etc. If the Bill envisages tax relief, to that extent I am prepared to welcome it. But this Bill is being passed on the 8th August. In the last week of July we were given a kick in the back by a Supplementary Budget. In the annals of the history of Indian Parliament never a supplementary budget had been introduced in the House within such a short period of four months, that is, from March to July. On the one side we get a supplementary Bill with a view to netting Rs. 250 crores and on the other side we get tax concessions. From this it appears that there must be some chaotic conditions prevailing in the Finance Ministry. There must be some uniform policy. We do not know what will come in the next Month. We may be presented with another supplementary budget and, again, the next month we may get some more tax relief here and there. That is the state of affairs today, Madam.

As regards the merit of the Bill, there are certain meritorious parts and also there are parts which are to be condemned. First of all, let us take the priority list that they have given. In that they have included the cotton textile industry. But they have debarred from the list synthetic fabrics. You know, Madam, this anamolous situation has been prevailing for a long time. At one stage the Planning Commission in consultation with the Petroleum and Chemicals Ministry and the Industrial Development Ministry wanted that nylon and synthetic fibre should develop at a greater speed in the country. For your information, Madam, the Planning Commission has assigned a bigger role to this industry for clothing millions of our countrymen.

"The target for the Fourth Plan is 11,000 million metres and for the Fifth Plan, 16,000 million metres with a per capita consumption of 3.5 metres of synthetic fabric out of a total of 14.5 metres. This will call for a massive investment for installing the latest and up-to-date machinery to achieve the ambitious targets fixed by the Government. In addition to meeting the increasing home demand, the synthetic fabrics have also to capture the world market in an increasing degree to earn valuable foreign exchange for the country."

Madam, we have seen a very anomalous situation. Some of the renowned cotton textile mills like Mafatlal, Calico, Bombay Dyeing, Tatas, Sarangpur, Delhi Cloth Mills, Khatau, New Shorrock, Kohinoor, Binny and Madura Mills of Madurai—they all enjoy a good reputation—use 80 per cent cotton and 20 per cent synthetic fibres and yet they are given the initial depreciation allowance to the extent of 20 per cent and also a higher rate of development rebate. But there are several units in Punjab, Haryana, Bombay and Gujarat in the small-scale sector which are engaged in the production of synthetic fabrics. But they are denied these two incentives, i.e. higher rate of development rebate and initial depreciation allowance of 20 per cent, whereas these big houses enjoy these two concessions. I do not understand the logic behind it. What is the rationale behind it? During 1973 the production of polyester fibre was expected to be around 16,000 tonnes and at least 90 per cent of it, i.e. 12,000 tonnes—if my figures are correct—go to these big houses, to these cotton textile mills so that it could be mixed with cotton. Now, at the instance of the Planning Commission, the Ministry of Industrial Development, under Mr. C. Subramaniam, sent out circulars to all the State Governments asking them to start nylon factories, synthetic fabric factories. Twelve State Governments applied for it. The Petroleum and Chemicals Ministry said "You should try to start these industries in the joint sector and you must produce 36,000 tonnes of nylon yarn before the end of the Fourth Plan." Immediately these State Governments sent their representatives all over the world some to Germany, some to Japan and some to Italy and other places to get collaboration. Many of the State Governments succeeded in getting collaboration. Then they chose the site. They collected the material. But when they applied for the licence, it dawned on somebody in the Planning Commission, some Gautama Buddha, that it was a luxury item, a rich man's item and licence should not be given. As a matter of fact, our State Government, Tamil Nadu Government, had spent, if I remember correctly, more than Rs. 15 lakhs on this. The Mysore Government had spent Rs. 20 lakhs on this. You may remember, Madam, last time I read in the House a letter written by Mr. Devraj Urs himself to Mr. Subramaniam. In that letter, Mr. Devraj Urs had said that "by shelving this project, they were giving room for people to think that they were playing into the hands of Birlas, Tatas and other big houses in the country.

[Shri S. S. Mariswamy]

Having gone so far we should not retrace our steps. With your influence in the Central Government, I would request you to see that this project is passed." That letter I read out before Mr. Subramaniam. The other day when he was here I asked him what happened to this aspect of our project. Pat came the reply that it is not his mistake; the mistake lies with the Planning Commission. And on that day luckily Mr. Dhar was sitting by his side. I told him in the last Session he gave an assurance that the matter will be decided soon. Then I told him you gave this assurance and it is already more than 90 days, and according to the Rules of the Assurances Committee you could be hauled up before the Assurances Committee that you have not kept up your word. Then he said "the fault does not lie on my Secretariat, it is on me as well as my colleague, Mr. Dhar. We have no time to sit and discuss the matter." He also made a request to Mr. Dhar to discuss the matter and dispose it of one way or the other. They are in the same Government. I believe the Cabinet is meeting quite often. Could they not find a few minutes to sit and discuss this matter? I do not know how strong is the relationship between one Minister and another that they do not have even social contacts. Either Mr. Subramaniam or Mr. Dhar can just make a telephone call to the other and invite and sit over a cup of tea and discuss the matter. They can easily settle the matter. In the absence of such a thing, now many State Governments are in a quandary. They do not know what to do. When they included in the priority list the cotton textile mills, I thought these man-made fabric factories which are producing synthetic fibre would also be included. But I am very sorry to say that in the fifth schedule of the Income-Tax Act 1961 entries 32 and 33 say—textiles including those dyed, printed and/or otherwise processed made wholly or mainly by cotton yarn. . . .and, then, dyed, printed or otherwise processed, made of jute, etc. etc. and there is no mention about this synthetic fabric. If they want to reach the target of 16 million metres which would give 14.5 metres to an average man and out of which 3.5 metres will be synthetic fabric, these people should be given an incentive. Furthermore, you will be surprised to know that so many small countries have now taken up this thing and are earning a lot of foreign exchange. For example, Japan is earning about Rs. 1000 crores per year. Korea, which was a war-torn coutry, is earning about Rs. 300 crores. Hong Kong is earning about Rs. 200 crores. And we are earning a grand sum of Rs. 10 crores per year. Then how would people come and invest money? If you want to attract capital to come and sink money in this project, you must give incentives as you give to other industries. You must give protection to this industry. If a little incentive is given, if it is included in the priority list whereby these people enjoy the higher rate of development rebate and also initial depreciation allowance of 20 per cent, then people will not only reach this target, but also exceed the target. This is my information. Not only do you earn Rs. 10 crores, you will earn much more. We can export to Middle-East countries, to South-East Asian countries and earn a lot of money. Furthermore, this is a very false notion that it is a rich man's garment and is not used by the common man. People who say it themselves use it, and at the same time they call themselves socialists. In the recent AICC meeting there was a discussion whether they should wear Khadi or not. Somebody came forward, a young man, and said if this restriction be there then intelligentsia would not come to the Congress. I do not know what he meant by it, whether he means that the people who are in the Congress and wearing Khadi do not belong to the intelligentsia class. I am also wearing khadi in spite of the fact that I am not a Congressman. But what about the common people, the poorest man in the country? Whoever it is, even the poorest man, whatever his profession, has one or two nylon fabrics with him.

5 P.M.

It is not because it is colourful, but it is economical and also durable. You take one nylon shirt. It can be used for years to come provided you do not tear it. It is not the case with other things. So, I would appeal to the Finance Minister to see that in the priority list synthetic fabric is also included and incentive given so that the country will stand to gain by earning more foreign exchange. More number of people also can be absorbed. I am not talking of big people; I am speaking of small-scale people and medium-sized industries. I am only speaking for them.

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं इस बिल की भावना का तो स्वागत करता हूं, परन्तु इस विधेयक की सफलता में मुझे सन्देह है ।

[**The Vice-Chairman (Shri Jagadish Prasad Mathur)** in the Chair]

महोदय, उसका मूल कारण यह है कि वित्त मंत्रालय और व्यापार मंत्रालय का जब तक तालमेल नहीं होगा तब तक इस विधेयक का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। कारण यह है कि आज जितने उद्योग है वह भारतवर्ष के कुछ क्षेत्रों में, कुछ नगरों में सीमित होते हुए चले जा रहे हैं। कुछ मुट्ठी भर नगरों में हैं और उन्हीं के आस पास की उन्नति हो रही है और देश का अधिकांश भाग पिछड़ा आ, गरीब, नंगा और भूखा पड़ा हुआ है। इसका मूल कारण क्या है? इसका म ल कारण यह है कि आपकी जो लाइसम देने की मशीनरी है, मिनिस्ट्री है वह आं , नाक, कान बन्द करके लाइसेंस देते है। मैं समझता हूं कि जब तक आप इस नीति को नहीं अपनायेंगे कि उद्योगों का विकेन्द्रीयकरण किया जाए, जब तक यह नीति आप नही अपनायेंगे तब तक आप समस्त देश की समान रूप से उन्नति करने में असमर्थ रहेंगे। जो आपने थोड़ा बहुत प्रोत्साहन दिया है इस बिल के द्वारा यह निरर्थक सिद्ध हो जाएगा जब तक आप ऐसी नीति नहीं अपनाएंगे कि इतने से ज्यादा उद्योग एक स्थान पर नहीं होंगे, आगे जो लाइसेंस दिया जाएगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जाएगा, जब तक आप इस प्रकार की नीति नही अपनाएंगे तब तक आवश्यकता आप पूरी कर सकेंगे इसमें मुझे सन्देह लगता है।

पिछड़े क्षेत्रों की उन्नति के लिए आपका ध्यान गया है 27 वर्षों के बाद इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं । लेकिन पिछड़े क्षेत्रों का आप उत्थान कर सकेंगे इसमें मुझे सन्देह लगता है। केवल आप मशीनों में, उसके लाभ में छूट देंगे, उसके पश्चात् आप उद्योगों को पिछड़े क्षेत्रों में ले जाने के लिए प्रोत्साहन देंगे, इतने से ही बात नहीं बनेगी। आपको इस बात की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि कच्चा माल ले जाने के लिए भाड़े में छूट देनी होगी, फोन आदि की व्यवस्था वहां हो। ऐसे क्षेत्रों में जहां सड़कें भी नहीं हैं कौन पागल आदमी जाएगा अपना उद्योग खोलने के लिए? इसके लिए यातायात की सुविधा भी हो। इसके साथ ही साथ में कहना चाहूंगा कि जो टैक्स और रिबेट में आप छूट दे रहे हैं वह बात तो समझ में आती है, परन्तु जब तक आप छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं देंगे तब तक इस देश के समस्त क्षेत्रों की उन्नति होनी असम्भव है।

आपने जो यह बिल बनाया है इस बिल में साफ प्रकट है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को आप इस प्रकार का प्रोत्साहन देने की चेष्टा कर रहे हैं कि वे बड़े नगरों से हटकर पिछड़े क्षेत्रों में अपनी पूंजी को लगायें और वहां उद्योग स्थापित करें।

मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि यह आज तक आप भूल करते आए हैं। भारी उद्योगों की स्थापना की नीति— यह महात्मा गांधी जी ने पहले ही कहा था कि देश का कल्याण इसमें नहीं होगा, यह पाश्चात्य पद्धति है। जहां आदमी कम हैं, जहां मजदूर कम है और वहां जो पैदावार की मांग ज्यादा है उस मांग की पूर्ति के लिए उन्होंने बड़े उद्योगों का सहारा लिया है, बड़े मशीनों का सहारा लिया है परन्तु भारतवर्ष में हाथ ज्यादा हैं, आदमी ज्यादा हैं अत: बड़ी मशीन के साधन से तो बेकारी बढ़ती चली जा रही है। इससे आप का काम बनेगा नहीं।

[श्री ओउम् प्रकाश त्यागी]

आपको बड़े उद्योगों की उपेक्षा छोटे उद्योगों की शरण लेनी पड़ेगी तभी आप पिछड़े हुए क्षेत्रों की उन्नति कर सकेंगे। मैं उदाहरण दूंगा : जैसे कि पंजाब में लुधियाना है, पानीपत आपके नज़दीक ही है और आपके पास ही छोटे छोटे नगर हैं, जैसे अलीगढ़ है जहां छोटे छोटे उद्योगों की स्थापना हुई है। लुधियाना में हर घर में आज चले जाइए, हर घर में आपको मशीन चलती हुई दिखायी पड़ेगी। उन्हें आपकी नौकरी की आवश्यकता नहीं है, अपना काम, रोजी रोजगार, स्त्री पुरुष सब मिल कर करते हैं। तो आपको अपनी नीति में परिवर्तन करना होगा और साथ ही मैं यह कहना चाहूंगा कि आप कुछ बड़े उद्योगों का भी सहारा लेते हैं तो आप कुछ मुट्ठी भर पूंजीपतियों को, बड़े हाऊसेज को, बिग बिजनेस हाऊसेज को ही प्रोत्साहन देने की चेष्टा मत कीजिए। आप इस देश में जो सहकारी समितियां हैं उनको प्रोत्साहन देने ी चेष्टा कीजिए ताकि जो लाभ है वह जनता में समान रूप से वितरित हो मके और आर्थिक विषमता जो इस टाइम पर देश में आ गई है वह मिट सके। इस समय आर्थिक विषमता की स्थिति यहां तक आ गई है कि ऐसा नहीं है कि केवल शहरी क्षेत्र के अंदर आ गई है, ग्रामीण क्षेत्र तो एकदम पिछड़े हुए रह गए हैं। तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का पिछड़ापन और इसी प्रकार व्यक्तियों की आर्थिक विषमता को आप कम से कम करने की चेष्टा करेंगे तो आपको कोआपरेटिव्ह सोसाइटीज का सहारा लेना पड़ेगा।

अगली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने सन् 1958 से इस ऐक्ट का लगभग 800 बार संशोधन किया है और उन संशोधनों का परिणाम यह निकला है कि आपको फिर आज संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी है और यह भी जो संशोधन विधेयक हमारे सामने आया है यह भी लंगड़ा और लूला है और मैं अभी संकेत करूंगा कि जो इसकी आत्मा है, एर्थ एण्ड नाइन्थ शेड्यूल, इसी को देखने के पश्चात् आप कह सकेंगे कि इस उद्देश्य की पूर्ति आप नहीं कर सकेंगे क्योंकि इसमें भारी त्रुटि यह हुई है कि जो आपने 8वां शेड्यूल बनाया है, पिछड़े इलाकों की आपने सूची बनायी है—प्लानिंग कमीशन ने और आपने—मैं कहूंगा प्लानिंग कमीशन में ऐसे आदमी जो शहरों में कोठियों में बैठे रहते हैं वे प्लानिंग कमीशन में आ गए हैं जिन्होंने गांवों को देखा नहीं है, वहां की स्थिति क्या है, जानते नहीं है, उन्होंने पिछड़े हुए क्षेत्रों की सूची बना दी। दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली को ही आप ले लीजिए। दिल्ली उन्नत क्षेत्रों में है, पर दिल्ली के गांवों में चले जाइए, गांवों की क्या स्थिति है—गांव का क्षेत्र आज बहुत पिछड़ा हुआ है। आपकी सूची में मेरठ का ज़िला नहीं है; मेरठ के ग्राम क्या उन्नत हैं? आपने शहरों को देखकर कि फेक्टरी लगी हुई है कह दिया उन्नत जिला है। आपके दृष्टिकोण में वह उन्नत जिला है परन्तु मैं समझता हूं यह आपका मूलाधार ही गलत है। जो एर्थ शेड्यूल में सूचियां दी हैं पिछड़े क्षेत्रों की वे अधूरी हैं लंगडी हैं और मैं समझता हूं यह जिला स्तर पर सूची नहीं बननी चाहिए, मैं समझता हूं तहसील के स्तर पर यह बननी चाहिए थी। मैं तो यहां तक चाहता हूं कि ब्लाक के अधार पर यह सूची बनती तो ज्यादा अच्छा होता ताकि समान रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की उन्नति आप कर सकते। परन्तु आपने इस प्रकार का जो जिला स्तर पर रखा है मै समझता हूं कुछ न कुछ इसमें

सहारा मिलेगा परन्तु वह भी मनोवांछित चीज नहीं बन सकेगी। उदाहरण के लिए, आपने बिहार की सूची बनायी है।

आप ने बिहार में संथाल परगना को लिया, परन्तु छोटा नागपुर इस सूची में नही है। मैं श्री गणेश जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपकी जानकारी में छोटा नागपुर उन्नत क्षेत्र में है? जो ट्राइबल एरियाज हैं वे उन्नत क्षेत्र में नहीं हैं। सब से बड़ी चीज तो यह है कि जो पिछडे हुए क्षेत्र है, हमारे देश के जो ट्राइबल एरियाज हैं और पहाड़ी क्षेत्र हैं, वे उन्नत क्षेत्र मे नहीं है, क्योंकि वहा पर सड़क नहीं हैं, रेलें नहीं है और मोटरे नहीं जा सकती है। इन क्षेत्रों का इसमें स्थान नहीं है। आप इन क्षेत्रों की उन्नति किस प्रकार से करेंगे?

आपने 20 प्रतिशत को छूट दे दी है, लेकिन मै यह कहना चाहता हूं कि अगर आप 50 प्रतिशत की भी छूट दे दे, तो पहाड़ी क्षेत्र में कोई भी उद्योग स्थापित करने के लिए नहीं जाएगा। कोलावा जिले का क्षेत्र अभी तक बम्वई क्षेत्र में शामिल नहीं था, लेकिन बम्बई की कारपोरेशन ने उसे अपने क्षेत्र में शामिल करने की घोषणा कर दी है। मैं समझता हूं कि कोलाबा का क्षेत्र पिछड़े क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन आपकी सूची में वह आ गया है, लेकिन बम्बई में शामिल हो जाने के बाद वह पिछड़ा क्षेत्र किस तरह से रहा? अब जो नया बम्बई बन रहा है उसको आपने पिछड़े क्षेत्र में नहीं रखा यह अच्छा है।

मै मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो बिल मंत्रालय की ओर से आते है उनको यहां पर रख दिया जाता है और जो उन्होंने बना दिया वह लोहे की लकीर है। क्योंकि आपके पास बहुमत है और इस कारण विरोधी दल की आवाज का कोई मूल्य नहीं है। मैं इस चीज को अच्छी तरह से जानता हूं कि जो चीज आपने बनाई है वह बिल्कुल गलत है और जो पिछड़े क्षेत्र की सूची है उसका दोबारा संशोधन होना चाहिए।

आपने नवीं शिड्यूल में जितनी चोजें रखी हैं, जो नियम बनाए हैं, उनसे साफ जाहिर होता है कि जो बड़े बड़े पूजीपति हैं वे ही उन वस्तुओं के निर्माण कार्य को अपने हाथ में ले सकेंगे। छोटे उद्योगपति या स्माल स्केल इंडस्ट्री वाले इस तरह के काम को नहीं कर सकेंगे। इसके माने यह हुए कि आपने बड़े बड़े पूजीपतियों की पूजी को पिछड़े हुए क्षेत्र में ले जाने के दृष्टिकोण से ही यह नवी शिड्यूल बनाई है। मैं समझता हू कि अगर आपके दिमाग में ग्रामीण क्षेत्र भी होता, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो चीज उपजती है, उनके बारे में भी आप सोचते। वहां पर खनिज पदार्थ उपजते हैं, सरसों, जूट, कपास, मक्का, फल, आम, सेव तथा अन्य कई प्रकार की चीजें उपजती है। इनसे संबंधित इन्डस्ट्री वहां पर बन सकती हैं और इन उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए आपने इन उद्योगों को सूची में नहीं रखा।

मैं आप से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें गन्ना भी नही है और न इसमें चमड़ा ही आया है। सरकार हरिजनों के साथ बहुत सहानुभूति रखती है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर उसके दिमाग में सहानुभूति होती तो आप अवश्य नवीं शिड्यूल में चमड़े के उद्योग को अवश्य रखते क्योंकि चमड़े के उद्योग में आज भी हरिजन सबसे आगे हैं। वे लोग अपने क्षेत्र में इस उद्योग की स्थापना करें, इस बारे में आपने छूट क्यों नहीं दी? मैं समझता हू कि आप इसमें कुछ संशोधन करें और इस प्रकार

[श्री ओउम् प्रकाश त्यागी]

की बात करें कि ये चीजें भी इसमें आ जाय। मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि छोटे उद्योगों के लिए आप पूरी छूट दे दीजिए। नवीं शिड्यूल में आपने जिन चीजों को छोड़ दिया है, उन सामानों को स्माल स्केल इंडस्ट्री वाले बना सकें, इस प्रकार का आपको प्रबन्ध करना चाहिए और उनको इस बारे में सारी छूट मिलनी चाहिए।

आपने पिछले क्षेत्रों में स्थापित कुछ नए उद्योगों को लाभांश में 20 प्रतिशत की छूट दी है। इसमें उन उद्योगों को भी छूट मिलनी चाहिए जो अब स्थापित होंगे 31 मई 1974 के बाद। आप उनको भी 20 प्रतिशत की छूट दें इनीशियल डैप्रीसिएशन मे। मै कहना चाहता हूं कि अगर कोई बड़ा उद्योग बड़े शहर से निकल कर पिछड़े हुए क्षेत्र मे स्थापित होने के लिए जाना चाहे तो मैं समझता हूं कि उसको भी आप इस प्रकार की सुविधा दीजिए ताकि बड़े उद्योग ग्रामीण क्षेत्र में जा सकें।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक सरकार पहले लाई थी उसमें छोटे उद्योगो के लिए छूट नहीं दी गई थी। जोइन्ट सेलेक्ट कमेटी ने छोटे उद्योगों को उसमें शामिल किया है और मैं इसका स्वागत करता हूं। परन्तु आपने छोटे उद्योगों के लिए इनीशियल डेप्रिसिएशन की जो छूट दी है उसमें आपने उनकी कीमत 7 लाख 50 हजार रुपए तक रखी है। मैं कहना चाहता हूं कि जब रुपए का मूल्य केवल 29 पैसे रह गया है, जब रुपए की कीमत चौथाई रह गई है उस अवस्था में यह जो राशि निर्धारित की गई है इसको आप बढ़ा कर कम से कम बीस लाख रुपए करें तो छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन मिल सकेगा, अन्यथा 7 लाख 50 हजार रुपए की सीमा रख देने से छोटे उद्योगों को ज्यादा प्रोत्साहन नहीं मिल सकेगा। इस पर आप थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करें।

मै कहना चाहता हूं कि आप ने छोटे और बड़े उद्योगपतियों को समान स्तर पर लाकर खड़ा किया है। आपने दोनों को 20 प्रतिशत का डेप्रीसिएशन एलाऊन्स दिया है। मैं समझता हूं कि छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए आप उनको 25 प्रतिशत का डेप्रीसिएशन एलाउन्स दें तो छोटे उद्योग बड़ी मात्रा में स्थापित हो सकेंगे। यह मेरी आपसे प्रार्थना है।

अन्त मे एक चीज मै खास तौर से कहना चाहता हूं। आप अपने उद्देश्य में सफल हो सकेंगे इसमें मुझे सन्देह है। सन्देह इसलिए है कि आपके 5 अध्यादेश आए हैं, उनसे आपने प्रतिबन्ध लगाया है कि बैंकों से रुपया मिलेगा नही, शेयर–होल्डर्स को 12 परसेंट से ज्यादा डिवीडेंड नहीं मिल सकता। इसका परिणाम यह हुआ है कि आज जो उद्योगपति हैं उनको अपने उद्योगों को बढ़ाने में और माल का उत्पादन करने में कठिनाई उपस्थित हो गई है। उनको बैंकों से रुपया मिलेगा नही, आपने इस प्रकार का प्रतिबंध लगाया है। अब यह स्थिति आई है कि बाजार में शेयरों की कीमत डाउन चली गई है क्योंकि उनको कोई ले नही रहा है। ऐसी स्थिति में पिछड़े इलाकों में कौन पूजी लगाने जायगा और पूंजी कहां से लेकर जायगा। इस पर आपको विचार करना होगा कि वह पूजी कहां से लेगा।

आप पिछड़े इलाकों में उन्नति करना चाहते है और उसके लिए वहां उद्योगों की स्थापना के लिए धन की आवश्यकता है। वर्तमान समय में एक स्थिति ऐसी है जो लगती तो खतरनाक है और कहते हुए मैं भय भी

खा रहा हूं पर मैं वह स्थिति रखना चाहूंगा इस समय जो हमारे देश मे पूंजी है उसका केवल 30 प्रतिशत भाग व्हाइट मनी के रूप में काम कर रहा है और उसी के आधार पर उत्पादन में धन को लगा सकते हैं और 70 फीसदी जो धन है इस देश की करेंसी है वह काले धन के रूप में अन्डरग्राऊन्ड पड़ी हुई है और उसके उपयोग का कोई तरीका नहीं है। कांग्रेस (आर) का अधिवेशन यहां हुआ था। मैं समझता हू कि बाबू जगजीवन राम जी ने बहुत समझदारी के साथ एक सुझाव उपस्थित किया था और वह यह था कि इस देश में अरबों रुपया काले धन के रूप में पड़ा है उसे पिछड़े क्षेत्रों में लगाएं ताकि उनका विकास हो सके। यह सरकार की सबसे बड़ी समझदारी की बात होती।

मैं समझता हूं कि आप कोई रास्ता निकालिए ताकि काला धन बाहर आए और वह बड़े नगरों में और शहरों में ही नहीं बल्कि पिछड़े क्षेत्रों में लगे और जो कर आदि उस पर आप लेना चाहते हैं दड के रूप मे वह भले ही आप कुछ ज्यादा लगा लीजिए, लेकिन एक बार आप उनको मौका तो दीजिए कि जिस के कारण वह काला धन देश के काम में तो आ सके। क्योंकि काला धन बहुत है और उस के लिए आप ने जो उपाय अपनाए हैं, जो जो रेड आप ने किए हैं वह ठीक है लेकिन जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को चुनाव में चंदा नहीं दिया, जिन्होने आपको सहायता नहीं दी उन के हाऊसेज पर ही आप के यह रेड हुए हैं और ऐसे ही व्यापारियो की खोज और जांच हो रही है। लेकिन जिन लोगों ने आप को करोड़ों और लाखों की तादाद में पैसा दिया है आप आज उन के लिए चुप हैं, मौन है। यह स्थिति आज आप की है। इसलिए मै कहना चाहूंगा कि आप का जो तरीका है काले धन को बाहर निकालने का उस से आप सफल नहीं हो सकेंगे। यदि इस सारे काले धन को आप बाहर निकाल कर देश के पिछड़े क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोग करने का कोई उपाय आप निकाल सकें तो उस से देश की उन्नति बहुत शीघ्र हो सकेगी और यह भी मै कहना चाहूगा कि उस से इतना धन आप के पास आ जायगा कि आप को विदेशों मे जा कर भीख मांगने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और देश की उन्नति अपने देश के साधनों से, देश के धन से ही हो सकेगी और इसी आधार पर देश आत्मनिर्भर हो सकेगा और देश समान रूप से तरक्की कर सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल की भावना का स्वागत करता हू परन्तु इस की सफलता पर मुझे बहुत बड़ा संदेह है। यह सफल हो सकेगा इस पर मैं संदेह करता हूं। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर): श्री राजनारायण।

श्री राजनारायण: श्रीमन्, कोरम नहीं है इसलिए मैं समझता हूं कि सदन को स्थगित कर दिया जाय। जब सदन के सदस्य इंटरेस्टेड ही नही हैं तो सदन को स्थगित कर दिया जाय।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर): कोरम हो गया। अब आप बोलिए।

श्री कामेश्वर सिंह (बिहार): अधिष्ठाता महोदय, बात यह है कि जितने

[श्री कामेश्वर सिंह]

माननीय सदस्य है वह राजनारायण जी के भाषण से तंग आ कर बाहर चले जाते है। और कोई बात नहीं है।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर): आज भाषण बड़ा रोचक होगा।

श्री राजनारायण: श्रीमन्, मैं आप की आज्ञा से इस अवसर पर एक संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं।

हमारा संशोधन यह है कि इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति में भेज दिया जाए। उसका नाम मैं बाद में दे दूंगा।

एक माननीय सदस्य: लोकसभा की सेलेक्ट कमेटी से होकर यहां आया है।

श्री राजनारायण: लोकसभा मे सेलेक्ट कमेटी से होकर आया है, लेकिन अगर नियमों का अवलोकन हो तो हम इसको संयुक्त प्रवर समिति में भेज सकते हैं। हम संयुक्त प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव करते हैं। सम्मानित सदस्यों को इस बात की जानकारी हो जानी चाहिए कि अगर हम उद्देश्य से सहमत हैं तो इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाय।

(Interruption)

श्री कामेश्वर सिंह: राजनारायण जी के उद्देश्य से सब कोई सहमत होंगे अगर ये बात करना बिलकुल बन्द कर देंगे।

श्री राजनारायण: श्रीमन्, हम चाहते हैं।

(Interruption)

उप-सभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर): आप लोग उनको बोलने दीजिए।

श्री राजनारायण: हम चाहते है कि सरकार हमारी बात सुने। हम सरकार की बात सुन रहे थे। जब गणेश जी ने इतनी देर अपनी बात कही तो हम एक शब्द भी बोले? जब हमने इसको पढ़ा तो हमने समझा कि इसका उद्देश्य तो ठीक है। इसलिए जब उद्देश्य ठीक है और उसका व्यवहार गलत है, इस उद्देश्य की प्राप्ति इस बिल से नही होती, तब हमारा यहां पर कर्त्तव्य हो जाता है अब हम इसको संयुक्त प्रवर समिति में भेजने का संशोधन पेश करें। इसलिए मैं, श्रीमन्, इसको संयुक्त प्रवर समिति मे भेजने का संशोधन पेश करता हूं।

एक माननीय सदस्य: नाम भी दे दीजिए।

श्री राजनारायण: नाम लिख लीजिए। चन्द्रशेखर जी, श्री भैरोंसिह शेखावत, श्री पांडा, श्री कृष्णकांत और श्री ओउम प्रकाश त्यागी।

श्री चन्द्रशेखर (उत्तर प्रदेश): उप-सभाध्यक्ष जी, मैं नाम इसलिए दे रहा हू कि जल्दी उनका भाषण खत्म हो।

उप-सभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर): जिस समय विधेयक प्रारंभ हुआ था उस समय आपका अधिकार था कि पहले आप इसका मोशन देते। उस समय आपने दिया नही। अब दो सदस्य बोल चुके है।

श्री राजनारायण: श्रीमन्, मैं समझ गया कि हमारे माननीय सेक्रेटरी जनरल ने आपको सुझाव दिया। लेकिन यह सुझाव ठीक नहीं है। आपको पूरा पूरा अधिकार है अगर आप उस विषय की गम्भीरता को महसूस करें। अभी विरोधी पक्ष ही बोला है और विरोध पक्ष के लोग यह कहते हैं कि इसको संयुक्त प्रवर समिति

में जाना चाहिए। वह उद्देश्य से सहमत हैं, मगर उनका कहना है कि उद्देश्य से सहमत होते हुए भी इस उद्देश्य की पूर्ति इस विधेयक द्वारा नहीं होगी। यह त्यागी जी भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं। इसमें कोई आपत्ति नही है कि इसको संयुक्त प्रवर समिति मे भेजने का प्रस्ताव न माना जाए।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर): यह समय पर नहीं है।

श्री राजनारायण : हां, समय पर नहीं है। श्रीमन्, मैं यह देखता हूं कि इस विधेयक का उद्देश्य यह बताया गया है कि जो हमारे पिछड़े इलाके हैं उनको हम तगड़ा बनायें और अविकसित क्षेत्र को विकसित करें। तो मैं पहले कहना चाहता हूं कि इस सरकार को हमारे देश मे अविकसित क्षेत्र कहां हैं इसकी ही जानकारी नही है। इसलिए कितना सुन्दर, सीधा और नन्हा सा संशोधन हमने रखा कि इसके जरिए हम इस सरकार को बता सकें कि हमारे देश में पिछड़े हुए क्षेत्र कौन है।

श्रीमन्, अभी अभी हमको एक रपट देखने को मिली---इंटर डिस्ट्रिक्ट इकानामी आफ उत्तर प्रदेश। डा० बलजीत सिंह ने एक रपट तैयार की है, यह सबसे लेटेस्ट रपट है। इसमें प्रति व्यक्ति खपत दी है। उसको लेकर इन्होंने माना है कि 300 रुपए साल से जिनकी आमदनी कम है उनको पावर्टी लाइन के नीचे माना जाए। और तीन सौ रुपए सालाना खपत मे जिनकी आमदनी ज्यादा है उनको गरीब रेखा से ऊपर माना गया है और इस तरह से एक मोटी लाइन उन्होंने खींची है। उन्होंने जो आंकडे दिए है, वे मैं आपको बताना चाहता हूं। पाच केटेगरीज उन्होंने उत्तर प्रदेश की की है। उत्तर प्रदेश के सारे जिलो को मैने देखा है और उसकी बुनियाद पर ही आपको बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में सबसे गरीब जिला बस्ती जिला है। वहां पर 116 रु० सालाना प्रति व्यक्ति खपत है। हमारे श्री पासवान जी, जो यहां पर बैठे है, वे जरा इसको देखें। इसमें तो खपत 30 पैसे रोज भी नहीं पड़ी। 1905 मे गांधी जी ने लिखा है कि उन दिनों मेरा खर्च 20 पैसे रोज पड़ता है। इसमें लिखा है कि प्रतापगढ़ की प्रति व्यक्ति खपत 178 रु०, आजमगढ़ की 181 रु०, जौनपुर की 186 रु०, बलिया की 187 रु०, बहराइच की 189 रु०, गौंडा की 189 रु०, रायबरेली की 189 रु०, फैजाबाद की 193 रु०, सुल्तान पुर की 193 रु० और देवरिया की 194 रु० है। पांचवें स्तर पर ये 11 जिले हैं जो कि 194 रु० से नीचे है। अब जो जिले 250 रु० से नीचे है वे इस प्रकार हैं--गोरखपुर 198 रु०, गाजीपुर 198 रु० उन्नाव 204 रु०, बाराबंकी 206 रु०, टेहरी गढ़वाल और उत्तर काशी 210 रु० फतेहपुर 219 रु०, सीतापुर 224 रु०, हरदोई 226 रु०, इलाहाबाद 244 रु० और मिर्जापुर 250 रु०। ये चौथी श्रेणी के जिले है और इसमे 10 जिले है। तीसरी श्रेणी में जो 291 रु० से नीचे और 250 रु० के ऊपर हैं वे इस प्रकार है--जालौन 250 रु०, बादा 252 रु० मैनपुरी, 260 रु०, बदाऊं 267 रु०, हमीरपुर 267 रु०, इटावा 269 रु० वाराणसी 269 रु०, शाहजहांपुर 275 रु०, एटा 276 रु० और बेरेली 291 रु०। इसमें भी 10 जिले है। इसके अलावा 298 के ऊपर और 394 के नीचे जो है उसमे भी 10 है। 10 जिले 367 के ऊपर और 499 के नीचे हैं यानी जिनकी पांच सौ रुपए सालाना औसत मे खपत फी व्यक्ति नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हू कि श्री गणेश जी, जो हमारे

[श्री राजनारायण]

वित्त राज्य मंत्री हैं, अगर इस देश के पिछड़े इलाकों की उन्नति करना चाहते हों तो पहले इन जिलों को देखो और जो पौथी हमको मिली है इस छोटे से विधेयक के साथ, इसमें जितने सूबे लिए गए हैं उन सूबों की आमदनी में जिलावार इन जिलों को भी शामिल करो। इन जिलों का इसमें कहीं स्थान है? मैं समझता हूं कि इनका कहीं स्थान नहीं है। बनारस का तो इसमें कहीं नाम ही नहीं है। श्रीमन्, बारीकी से इसको देखो, इसमें कहीं बनारस का नाम नहीं है।

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी : बनारस को जानबूझकर निकाला गया है। राय-बरेली का नाम है।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, बनारस का इसमें जो मैंने बताया है, 269 रु० दिया हुआ है। यहां पर यह प्रति व्यक्ति साल की खपत है और जो उन्होंने पिछड़े इलाकों की सूचिका दी है अपने शेड्यूल में, उसमें पिछड़े क्षेत्रों की सूची में बनारस जिला गोल कर दिया गया है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सूची पूर्ण है? क्या इस सूची में दिमाग लगाया गया है? और बिना दिमाग लगाये, मनमानी तरीके से, महज मंत्रियों की बुनियाद पर और मंत्रियों के चहेतों की बुनियाद पर जो जिला जैसा चाहा उस जिले को पिछड़े जिले की सूची में रख दिया और वस्तुत: जो जिले पिछड़े है उनको पिछड़े की सूची में रखा नही गया -- उनमें से बहुत है भी और बहुत नहीं है। कुछ हैं और कुछ नही है। इसलिए मैंने अदब के साथ आपसे अपील की थी कि इसको संयुक्त प्रवर समिति मे भेज कर अच्छी तरह से सोचा समझा जाए और देखा जाए सही मानी में कि हमारे देश में आज सब से पिछडा जिला कौन है।

श्री ओउम् प्रकाश त्यागी : समूचा जिला कौन उन्नत है जरा बता दें?

श्री राजनारायण : कोई भी नहीं है, सही है। तो इसलिए मेरा कहना है मैं मंत्री जी से फिर चाहूंगा कि अब भी अगर आप चाहें तो इसको संयुक्त प्रवर समिति में भिजवा दें। सरकार को इस पर कोई आपत्ति नही करनी चाहिए और आप चाहें तो सरकार से पूछ लें क्योंकि हम किसी ऐसे मकसद से इसको पास नहीं करना चाहते हैं जिससे हमारे देश का अहित हो। हम देश का हित चाहते हैं, पिछड़े इलाकों की तरक्की चाहते हैं, पिछड़े और आगे बढ़े हुए में जो असमानता है उसको दूर करना चाहते हैं और शहर और देहात का अंदर दूर करना चाहते हैं। इस नजरिए से, इस दृष्टिकोण से, हमने यह संशोधन रखा था।

श्रीमन् जो नौवां शेड्युल है--वस्तुओं या चीजों की सूची--उसको भी अगर ठीक तरीके से देखा जाए तो मिट्टी हटाने की मशीनरी तो है मगर मिट्टी के बर्तन बनाने की नहीं है। मिट्टी हटाना और मिट्टी के बर्तन बनाना, दोनों अगर एक ही चीज सरकार के दिमाग में हो-- मैं समझता हूं शायद ऐसा नहीं होगा तो बात दूसरी है, क्योंकि मैं मिर्ज़ापुर के बारे में जानता हूं, मिर्ज़ापुर में मिट्टी के बर्तन अब भी बहुत ही अच्छे बनते हैं मगर सरकार की ओर से उस मिट्टी के बर्तन के कारखाने को कोई सहूलियत नहीं मिलती है। तो मिट्टी को हटाना और मिट्टी के बर्तन बनाना, ये दोनों अलग चीजें है और मैं चाहूंगा कि ये जो वस्तुओं की सूची है यह बदली जाए, इसकी सीमा बढ़ायी जाए।

इसी के साथ साथ, जैसा कि हमारे मित्र त्यागी जी ने कहा चमड़े के बारे

में । मैं फिर मिर्ज़ापुर को देखता हूं, हमारे माननीय श्री भोला पासवान अहरौरा को जानते हैं क्योंकि ये काशी विद्यापीठ मे पढ़ चुकें हैं अहरौरा में चमड़े का काम बड़ी तेज़ रफतार से होता था हम जब छोटे-छोटे थे तब से जानते हैं। हमारा घर है वाराणासी और अहरौरा मिर्ज़ापुर में है। तो मिर्ज़ापुर के अहरौरा कस्बे में चमड़े का काम बहुत तेजी से होता था और वहां के हरिजन लोग जो चमार कहे जाते हैं, वे तमाम लोग मोट बनाते थे, अच्छे अच्छे जूते बनाते थे, उन जूतों को हम अहरौरा से मंगा कर बालपन में पहनते थे। आज अहरौरा में देखा जाए, जूते का कारख़ाना नहीं है, छोटी छोटी उनकी दुकाने, छोटे छोटे काम करने के औज़ार सब समाप्त हो गए। अगर सरकार सचमुच में पिछड़ें इलाकों की तरक्की करना चाहती है तो सरकार ने इस बात का इसमें उल्लेख क्यों नहीं किया? वहां लाख भी होता है, अहरौरा मिर्जापुर का जंगल है......श्रीमन्, सदन का शिष्ट व्यवहार यह होता है कि जब अध्यक्ष या पीठाधीष किसी से बात कर रहा है तो उस समय बोलने वाले को चुप रहना चाहिए। जो न जानते हों उनको बता देता हूं। अगर सुरीति और सुशोभा, डीसेन्सी और डिकोरम, और सदन की मर्यादा को रखना हो तो यही करना चाहिए। इस सदन के आधे से ज्यादा निकाल दिए जाएं क्योंकि बहुत से लोग आते हैं छाती फुलाते हुए, दौड़ते हुए। तो मैं यह कह रहा था, हमने इसको पूरा पढ़ा और देखा। लाख का रोज़गार जो बहुत पहले मिर्ज़ापुर की जनता चलाती थी वह नष्ट हो गया। मिर्ज़ापुर में अब लाख का कारख़ाना नहीं रहा।

यानी 1946-47 में जो लाख के कारखाने चलते थे। वे आज समाप्त हो गए हैं। इसके साथ में यहां पर यह भी देखता हूं कि इसमें टैक्सटाइल की बात भी आई है। जो लोग अपने देश को अच्छी तरह से जानते है, जो भारतीय संस्कृति के पुजारी हैं, वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि बनारस की साड़िया दुनिया में मशहूर हैं। बनारस की साड़ियों को तरक्की देने के लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। बनारस की साड़ियों का रोजगार चारों तरफ फैला हुआ है। जो लोग बुनकर है, जो साड़ियों के बनाने के माहिर हैं, जो इन चीजों को बनाकर करोड़ों रुपए को विदेशी मुद्रा कमा रहे है, उस बनारसी साड़ी के उद्योग को फैलाने के लिए, बुनकरों को सहायता पहुंचाने के लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं दी गयी है। हमारे श्री पासवान जी सामने बैठे है और मैं उनको साक्षी के रूप में रखता हूं। हमारे यहां पान भी एक बड़ा उद्योग है। वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि बनारस का पान बहुत प्रचलित है। बनारस, यहां श्री कमलापति त्रिपाठी रहते हैं और उनके इलाके में जो छोटा छोटा पान है, जो मघई पान कहलाता है, उसका वहां पर बहुत अच्छा व्यापार है, लेकिन आज वह पान का व्यवसाय नष्ट हो रहा है। अगर आप सही माने में छोटे उद्योगों को तरक्की देना चाहते हैं, तो फिर इस व्यवसाय को तरक्की क्यों नहीं देते हैं?

इसी तरह से धान हैं। धान के कूटने के लिए छोटी छोटी मशीनरी पहिले देहातों में थी। गांव के लोग दो तीन दिन के अन्दर अपने धान का चावल बना लेते थे और उनको बड़े बड़े शहरों में और बड़े बड़े कस्बों मे जाने की जरूरत नही थी, लेकिन इसमें इस चीज के बारे में कोई व्यवस्था नहीं है। सीमेंट के बारे में तो इसमें लिखा हुआ है। मै इन

[श्री राजनारायण]

चीजों को यहां पर इसलिए बतला रहा हूं कि इसकी परिधि बढ़नी चाहिए और जो इसकी सूची है, वह सूची बढ़नी चाहिए। इस सूची में बड़ी कमी है और इसमें बड़ी खामियां हैं। सही मानों में और देश के हित को दृष्टि में रखते हुए, इसकी सूची में अधिक वस्तुओं को लाया जाना चाहिए। हम काफी अधिक वस्तुओं को इस सूचि में ला सकते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर) : आपको बोलते हुए 20 मिनट से ज्यादा हो गये हैं और अब आप समाप्त कीजिए।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, 10 मिनट तो टोका-टोकी में ही व्यतीत हो गये हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर) : अगर उसको भी निकाल दिया जाय तब भी 20 मिनट हो जाते हैं।

श्री राजनारायण : श्रीमन् अगर आप कहेंगे तो हम नहीं बोलेंगे।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर) : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री राजनारायण : श्रीमन् हम बोलेंगे नहीं और न हम इस बारे मे लड़ेंगे ही। लेकिन मै कुछ बातें जो मंत्री जी ने अपने भाषण में कहीं उनके बारे में कहना चाहता हूं। मैं कोई चीज दोहरा नहीं रहा हूं। मंत्री जी ने करों में 20 प्रतिशत सहुलियत देने की बात कही। तो मै यह पूछना चाहता हूं कि 20 प्रतिशत की सहुलियत देने के बाद कौन कौन मे उद्योग कहां पर लगाये जायेंगे? इस चीज को मंत्री जी ने अपने भाषण में नहीं बतलाया और न हो इसकी चर्चा की। अगर वे 20 प्रतिशत की छूट दे रहे है, रिबेट दे रहे हैं, तो इस बारे में क्या गुजायश है और कौनसे उद्योग इस 20 प्रतिशत की छूट के कारण अपनें देश के किन किन प्रान्तों में, जिलों में या किन किन इलाकों मे लगाये जायेंगे? मंत्री जी को चाहिये था कि जब उन्होंने इस सम्बन्ध में पहिला भाषण दिया था, तो इन तमाम बातों की वे चर्चा करते। उन्हें बतलाना चाहिये था कि हम ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं और इन क्षेत्रों में 20 परसेंट का रिबेट कर देंगे अगर इस-इस प्रकार के उद्योग वहां पर लगाये जायेंगे। इसलिए हमारे मन में एक प्रकार की शंका पैदा हो गई है कि जो 20 परसेंट का रिबेट दिया जा रहा है, वह क्या है? क्योंकि एक तरफ तो आप देखेंगे कि 232 करोड़ रूपये के नये टैक्स लगाये गये हैं। मैं चाहता हूं कि श्री गणेश जी इस बात का उत्तर दें और सदन के माननीय सदस्यों को बतलाये कि एक तरफ तो आप 232 करोड़ रुपये के नये टैक्स लगा रहे हैं और दूसरी तरफ आप 241 करोड़ रुपये का इन्कम टैक्स में छूट दे रहे हैं। यह एक अजीब हालत है और मै तो हैरत में हूं। यह तो सरकार शुतुमुर्ग की तरह है जो बालू में सिर गाड़ करके पैर ऊपर करके चल रही है। हमारी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि एक तरफ तो इन्कम टैक्स में 241 करोड़ रुपये की छूट दी जा रही है और दूसरे तरफ 232 करोड़ रुपये के टैक्स क्यों लगाये जा रहे हैं? एक तरफ तो यह सरकार यह कहती है कि हम गरीबों का हित चाहते हैं, हम गरीबों की भलाई चाहते हैं और दूसरी तरफ गरीबों की भलाई को उल्टा करने वाले टैक्स को इन्होंने लगा दिया। तो मैं चाहूंगा कि इस विधेयक पर अच्छी तरह से चर्चा हो जिससे हमारे देश की जनता इस बात को समझ ले कि यह विधेयक शाब्दिक है, यह विधेयक घड़ियाल के आंसू हैं जो गरीबों के नाम पर, पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास के नाम पर बहाए जा रहे हैं। इससे पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास होने वाला नहीं है। हां, बड़े बड़े कस्बो के अन्दर कुछ बड़े पूंजीपति अपने उद्योगधन्धे खड़े कर देंगे और

उनको 20 प्रतिशत का रिबेट मिल जाएगा जिससे उनकी पूंजी और पूंजी कमाने के काम में आ जायगी। यदि सरकार सही माने में पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना चाहती थी तो सरकार ने 232 करोड़ रुपए का नया टैक्स क्यों लगाया और 241 करोड रुपए की कर मे छूट क्यों दी। पिछडे हुए क्षेत्र की जानकारी सरकार को है ही नही।

मैं एक बात इस सम्बन्ध में और कहना चाहता हू। जैसा त्यागी जी ने इशारा किया था, पिछड़े क्षेत्र में सड़के नहीं हैं। कहीं थोड़ी बहुत है तो कच्ची हैं, पक्की है ही नहीं। वहां रेल नहीं है, पुल नही है, बाजारों को एक दूसरे से मिलाने का कोई साधन नहीं है। तो फिर पिछड़े क्षेत्र का विकास कैसे होगा? अगर पिछडे क्षेत्र का विकास करना है तो यह सरकार पहले बताए कि जो पिछड़े क्षेत्र है उनमें आवागमन के साधनों के लिए सरकार क्या कर रही है? वहा पक्की सड़कों को बनाने के लिए सरकार क्या कर रही है, वहां रेल जाने की व्यवस्था के किए सरकार क्या कर रही है। चूंकि यहां पर माननीय मंत्री जी मौजूद है इसलिए आपके द्वारा मैं उनसे कहूंगा कि जहा पर कच्चा माल हो वहा कारखाना हो तो उससे कितनी आसानी होती है। ऊख की जो खुइया होती है वह कागज के बनाने के काम में अच्छी तरह से आ सकती है। इसको देखा जाय। गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, तमाम पूर्वी इलाके में कागज का कारखाना बनाया जा सकता है। वहां पर कागज के कारखाने को लगाने के लिए सरकार ने क्या योजना की है? मैं मुक्त कंठ से कहना चाहता हूं कि जो लाइसेंस की प्रथा सरकार ने चला रखी है जबकि हमारे यहां जीवनोपयोगी सामग्री का अभाव है उसे सरकार को समाप्त कर देना चाहिए क्योंकि लाइसेंस देना, उसके कन्ट्रोल की व्यवस्था, उसे कैंसिल करने की व्यवस्था इनसे केन्द्रीय सरकार लाइसेंसिंग कमेटी में केवल पैसा बनाती है और उद्योग-धन्धों के फैलाव में दिक्कत पैदा करती है।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर) : अब आप समाप्त करिए।

श्री राजनारायण बस 5 मिनट में।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर). पांच मिनट नही, आप दो मिनट मे समाप्त करिए।

श्री राजनारायण : हम कोशिश करेंगे कि आपकी आज्ञा का पालन हो जाय।

श्री कामेश्वर सिंह : दो मिनट इनके लिए दो घंटे हो जाएंगे। हम इनके भाषण से बोर हो रहे हैं।

श्री राजनारायण : बोर हो रहे है तो चले जायं।

कल 9 अगस्त है। पंजाब की असेम्बली मे ज्ञानी ज़ैल सिंह ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया है कि 9 अगस्त को प्रदर्शन दिल्ली में होगा उसके लिए हम 10 लाख रुपया दे रहे हैं। यह दस लाख रुपया कहा से आएगा? अगर उद्योग धन्धों के विकास में सरकार की थोडी भी दिलचस्पी है तो वह बताए कि यह दस लाख रुपया कहां से आया है। यह दस लाख रुपया उद्योगपतियों से आया है *(Interruption)* उनसे आया है जो अपने देश के उद्योगों को मारने में लगे हुए हैं, जो गरीबों का शोषण कर रहे हैं। *(Interruption)*

SHRI D. D. PURI (Haryana): I rise on a point of order. May I know, Sir, if all that he has said is relevant to the Bill at all? Secondly, he has not made the statement.

श्री राजनारायण : श्रीमन, मैं कहना चाहूंगा कि...

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर) . अब आप समाप्त करिये। आप के दो मिनट हो गये।

श्री राजनारायण : उस में तो व्यवस्था का प्रश्न उठ गया। दो मिनट हम को और दे दीजिए।

श्री कामेश्वर सिंह : यह चरण सिंह के दबाव में हैं और चरण सिंह सी०आई०ए० के दबाव में है।

श्री सीताराम सिंह (बिहार) : तुम किस के दलाल हो ?

श्री कामेश्वर सिंह : मैं आप का दलाल हूं।

श्री राजनारायण : अब कोई व्यवस्था का सवाल न उठाये तो दो मिनट में खत्म कर दूंगा।

श्री कामेश्वर सिंह : आप ने घंटी बजा दी है, उन को बिठलाइये, नहीं तो हम भी बोलेंगे।

श्री राजनारायण : वह बोल रहे है तो बोलें, हम फिर बोल लेंगे। क्योंकि हम लफंगई तो करेंगे नहीं। तो श्रीमन् मेरा कहना यह है कि मैं आप के द्वारा माननीय चेयरमैन, हाउसिंग कमेटी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह अपनी मर्यादा की रक्षा करें। उन को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। वह एक कमेटी के अध्यक्ष हैं और ज्ञानी जैल सिंह ने असेम्बली में स्वीकारा है कि दस लाख रुपया खर्च होगा।

श्री देवदत्त पुरी : बिलकुल नही, कतई नहीं स्वीकारा है।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर) : आप ने कांट्रैडिक्ट कर दिया उस बात को।

श्री राजनारायण : पंजाब असेम्बली का सवाल है, लेकिन प्रदर्शन हो रहा है दिल्ली में। तो विद्यार्थी दिल्ली लाये जा रहे है। स्कूल और कालेज के विद्यार्थी दिल्ली लाये जा रहे हैं। ट्रास्पोर्ट वगैरह को कहा गया है कि अपनी अपनी गाड़ियों पर उन को दिल्ली ले जाओ।

श्री रणवीर सिंह (हरियाणा) : इस विधेयक से इस प्रदर्शन का क्या संबंध है ?

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर) : आप बैठिये। आप के दो मिनट हो गये।

श्री राजनारायण : उन के हो गये या मेरे हो गये ?

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर) : आप के हो गये। अब आप स्थान ग्रहण करें।

श्री राजनारायण : आप कहते है तो मैं आप से नही लड़ूगा, मैं बैठता हूं।

SHRI H. M. TRIVEDI (Gujarat): Mr. Vice-Chairman, Sir, I will probably have to recollect my thoughts before I start speaking in view of all that has transpired. I rise to welcome this Bill and its major features. Some of the features are only technical provisions which arise from the Supreme Court's decision granting powers

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न प्रस्तुत करता हूं। देखिए कि हमारे यहां का एक ड्राइवर है और हमारी पार्टी के सेक्रेटरी है। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है कि आप को जो गाड़ी लेने आयी है उस का नम्बर डी०एल० वाई० 142 है। उस पर पार्टी का झंडा लगा हुआ है, उस गाड़ी पर। उसे गेट नम्बर एक पर रोका हुआ है। सिपाहियों का कहना है कि झंडा उतार कर गाड़ी अंदर जायगी। मैंने उन

को आप का नाम बताया कि गाड़ी आप को लेने आयी है फिर भी गाड़ी को अंदर नही, आने दिया गया। अपना पास भी दिखाया, हमारे सेक्रेटरी के पास उन का पास है, फिर भी उन को अंदर नहीं आने दिया गया। गाड़ी गेट नम्बर एक पर खड़ी है। यह हमारे राइट का सवाल है या नहीं? हमारा प्रोग्राम लगा हुआ है। हमारी पार्टी का झंडा उस गाड़ी पर लगा हुआ है। अगर ऐसा ही हुआ तो कल से यहां पर कांग्रेस पार्टी का झंडा लगी हुई गाड़ी भी यहां नहीं आने पायेगी। ओम् मेहता जी यहां हैं, आप उन को बतला दें कि वह हमारी गाड़ी यहां मंगवायें।

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री ओम् मेहता) : सेक्योरिटी वाले जानते हैं कि उन को क्या करना है।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर) : आप के अधिकारों पर कोई आघात नही है।

श्री राजनारायण . श्रीमन्, मै आप से निवेदन कर रहा हू कि सारी दुनिया की संसदीय प्रणालियों को आप ले लीजिए। वह एक पार्टी का झंडा है और वह पार्टी एक रिकग्नाइज्ड पार्टी है। वह कोई अवैध पार्टी नही है। उस पार्टी की गाडी पर अगर उस पार्टी का झंडा लगा हो और उस गाड़ी को यहां रोका जाय तो इस तरीके से यह सदन के सम्माननीय सदस्यों का अपमान है।

श्री ओम् मेहता : नही, नही है।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर) : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री राजनारायण : श्रीमन्, मै आप से निवेदन करूंगा कि आप इस पर कोई रूलिंग न दें। हमारी गाड़ी यहां पर नही आने दी गई।

श्री कामेश्वर सिंह : श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। इनको बैठने के लिए कहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर) : ये स्वयं व्यवस्था के प्रश्न पर हैं। इन्होंने व्यवस्था का प्रश्न रखा है। इसीलिए मैने कहा है कि इनका व्यवस्था का प्रश्न सदन की कार्यवाही से संबंधित नहीं है।

श्री राजनारायण सदन की कार्यवाही से संबंधित नहीं है? श्रीमन्, हम अपनी गाड़ी को लेकर आ रहे है और मुझे रोक दिया गया तो मैं सदन की कार्यवाही में भाग नहीं ले सका। क्या कांग्रेस की खाली गाड़ी कांग्रेस के झण्डे को लेकर नहीं आ सकती? यह व्यवस्था आप दे दीजिए कि कोई भी पार्टी की गाड़ी झंडा लगाकर नहीं आयेगी जब तक कि उसमें कोई सदन सदस्य न हो...

(Interruption)

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर) . यह प्रश्न नही है।

श्री राजनारायण : आप इस पर रूलिंग मत दीजिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सब लोग इस पर बैठकर विचार करे।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगदीश प्रसाद माथुर) : आप उसको प्रेस मत करिये अभी।

श्री कामेश्वर सिंह : यह तो गन्दी परिपाटी है...

(Interruption)

SHRI H. M. TRIVEDI: Mr. Vice-Chairman, Sir, if I may be allowed to speak now,

[Shri H. M. Trivedi]

as I said, I rise to welcome some of the features of this Bill. I started saying that some of the provisions of this amendment Bill really relate to taking powers in order to safeguard against or get over the implications of certain judgments of the Supreme Court. I would not like to comment upon them, but I would sincerely welcome the provisions in this amendment Bill which relate to fiscal incentives being granted for research. But looking at the wording of the sections which have been provided here for fiscal incentives for research, I would only like to urge that in the implementation of the amendments, in the implementation of the Income-tax Act, they may be liberal. As far as the provisions go, perhaps no further improvement can be effected at this stage. However, in relation to the fiscal incentives, definition of 'hotel', 'period', 'salary', etc. in relation to research and so on, some of the provisions are rather rigidly worded. I hope in the implementation of the Act, there will be a certain liberality. . .

श्री कामेश्वर सिंह : राजनारायण जी अपनी बात कहकर चले गये। यह तो गन्दी परिपाटी है।

श्री राजनारायण श्रीमन्, इनको रोकिये ये यहां अपनी मंडी कायम न करें।

श्री कामेश्वर सिंह : राज्य सभा की परिपाटी अपनी सीट पर बैठकर बोलने की है। यह गन्दी आदतें आप छोड़िये।...

(*Interruption*)

श्री राजनारायण : यह इनका दरबार नहीं है। जरा तमीज सीखिए। आप जिस तरीके से बोलते है...

(*Interruption*)

श्री कामेश्वर सिंह : मैं आपके कुकर्मों का भंडाफोड़ करूंगा।

श्री राजनारायण : जो कुकर्म मैंने तुम्हारे साथ किया है उसको कबूल करना...

(*Interruption*)

SHRI H. M. TRIVEDI: Mr. Vice-Chairman, Sir, do you want me to speak now?

SOME HON. MEMBERS: We can adjourn now.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR): The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at six of the clock till eleven of the clock on Friday, the 9th August, 1974.

MGIPCBE—S2—9 RSS/ND 74— 11-11-74—595